कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-25.01.2025

विषय:- नीलगाय की हत्या के मामले में 03 नफर अभियुक्त थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार,कब्जे से नीलगाय का शव,बांका व जाल बरामद।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे **"ऑपरेशन चक्रव्यूह"** अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के कुशल नेतृत्व में थाना चौबेपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण 1. मो0 आमिर उर्फ चुनमुन पुत्र मो0 हबीब निवासी ग्राम मवईकला थाना मुगलसराय जनपद चंदौली 2. इम्तियाज अहमद पुत्र इब्राहिम निवासी ग्राम लेड़ुवा सकूराबाद थाना मुगलसराय जनपद चंदौली 3. मो0 वारिस उर्फ मोनू पुत्र पैगंबर बक्श निवासी ग्राम लेड़ुवा सकूराबाद थाना मुगलसराय जनपद चंदौली को दिनांक-25.01.2025 को समय करीब 18.00 बजे बेर का बगीचा वहद ग्राम मुस्तफाबाद से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से नीलगाय का शव, बाँका व 01 अदद जाल बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 64/2025 धारा 9/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम व धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण ने बताया कि लालच में हमलोग गंगा इस पार आ गये थे तथा झाडी में रस्सी का फंदा लगाये थे तथा नीलगाय को दौडाकर फंसा लिये तथा फंस जाने पर मांस के लिये निल गाय को काट दिये थे हम लोग इसको टुकड़े-टुकड़े में काटकर मांस निकाल कर ले जाने की फिराक में थे कि पकड़े गए।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. मो0 आमिर उर्फ चुनमुन पुत्र मो0 हबीब निवासी ग्राम मवई कला थाना मुगलसराय जनपद चंदौली उम्र 45 वर्ष।
2. इम्तियाज अहमद पुत्र इब्राहिम निवासी ग्राम लेड़ुवा सकूराबाद थाना मुगलसराय जनपद चंदौली उम्र 45 वर्ष।
3. मो0 वारिस उर्फ मोनू पुत्र पैगंबर बक्श निवासी ग्राम लेड़ुवा सकूराबाद थाना मुगलसराय जनपद चंदौली उम्र 45 वर्ष।

गिरफ्तारी/बरामदगी का स्थान, दिनांक व समय- बेर का बगीचा वहद ग्राम मुस्तफाबाद, दिनांक-25.01.2025 को समय करीब 18.00 बजे।

बरामदगी का विवरण-

1.मृत नील गाय का शव

2.बांका, जाल -01 अदद

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 0064/2025 धारा 9/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम व धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम का विवरणः-

1.प्रभारी निरीक्षक जगदीश कुशवाहा थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

2. उ0नि0 जितेंद्र कुमार वर्मा थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

3.हे0का0 विजय प्रताप थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

4.कां0 रवि कुमार थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी